SPEED POST

अति महत्वपूर्ण/तत्काल कार्यवाही हेतु

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.9291 /22/वि.–9/2015 भोपाल दिनांक 04/06/2015

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
तथा मिशन लीडर – एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम
जिला – समस्त, मध्यप्रदेश।

विषयः प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मनरेगा तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अभिसरण की कार्ययोजना एवं कार्यान्वयन (संलग्न – 97 विकासखण्डों में) हेतु दिशा – निर्देश।

1. पृष्ठ भूमि

1.1 **भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" नाम से नवीन योजना प्रारंभ की गई है। जिसका प्रमुख उद्देश्य वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा में वृद्धि करना एवं इसके द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है।**

1.2 वर्ष 2015–16 से भारत सरकार ने एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) को "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" की घटक योजना घोषित किया है।

1.3 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनायें वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में ही स्वीकृत होती हैं। अतः यदि एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की स्वीकृत परियोजनाओं के ग्रामों में मनरेगा (MGNREGS) से अभिसरण (Convergence) कर अतिरिक्त वित्तीय संसाधन नियोजित कराये जायें तो इन ग्रामों में जल संरक्षण/संवर्धन तथा जल वितरण/भूजल दोहन के यथा संभव कार्य कराये जाकर सिंचाई सुविधा में अपेक्षित वृद्धि की जाकर "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है।

1.4 अतः पूर्वोक्त के अनुक्रम में मनरेगा से अभिसरण कर एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की स्वीकृत परियोजनाओं के ग्रामों में "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जल संरक्षण/संवर्धन तथा जल वितरण/भूजल दोहन के कार्यों की कार्ययोजना तैयार करने एवं कार्यान्वयन करने हेतु यह आदेश जारी किया जा रहा है।

2. कार्यक्षेत्र

2.1 "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनरेगा तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अभिसरण हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश के जिन पिछडे विकासखण्डों को चयनित किया गया है, उनकी सूची **अनुलग्नक – "1"** पर संलग्न है। प्रस्तावित अभिसरण का कार्यक्षेत्र इन विकासखण्डों में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से वर्ष 2012–13 तक स्वीकृत सभी परियोजनाओं के सभी माईक्रोवाटरशेडों के सभी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले ग्राम होंगे।

3. सिंचाई सुविधा में वृद्धि के विकल्प

3.1 कार्यक्षेत्र के लक्षित ग्रामों में मनरेगा तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का अभिसरण कर सिंचाई सुविधा में वृद्धि के लिए निम्नानुसार विकल्प अपनाये जा सकते हैं:–

3.1.1 सतही जल संरक्षण हेतु नवीन संरचनाओं का निर्माण कर तथा पुरानी संरचनाओं का सुधार/जीर्णोद्धार कर अतिरिक्त जल संग्रहण क्षमता जनित करके।

3.1.2 भू– जल संवर्धन गतिविधियां अपनाने के साथ – साथ भू–जल के उपयोग द्वारा

3.1.3 सतही जल अथवा भू–जल के उपयोग/वितरण हेतु नहर/वितरण प्रणाली का निर्माण कर अथवा उद्वहन सिंचाई द्वारा

4. लिये जा सकने वाले कार्य

4.1 उपरोक्त विकल्पों के अनुसार लक्षित ग्रामों में सिंचाई सुविधा में वृद्धि हेतु कार्यान्वित किये जा सकने वाले जल संरक्षण/संवर्धन और जल वितरण/भू–जल दोहन के संभावित कार्य **अनुलग्नक – "2"** में दर्शाये गये हैं। यह कार्य केवल सांकेतिक है। क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप मनरेगा अंतर्गत अनुमत अन्य उपयोगी कार्य भी चयनित कर कार्यान्वित किये जा सकते हैं।

5. कार्यों का चयन तथा योजनावार वर्गीकरण

5.1 लक्षित ग्रामों में मनरेगा तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के प्रस्तावित अभिसरण से जल संरक्षण/संवर्धन और जल वितरण/भू–जल दोहन के कार्यों के चयन और योजनावार वर्गीकरण के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

5.1.1 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना की पी.आई.ए. की वाटरशेड डेव्हलपमेंट टीम तथा मनरेगा की टीम (उपयंत्री, सरपंच, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक तथा पटवारी) द्वारा संयुक्त रूप से लक्षित ग्रामों में सघन सहभागी आयोजना कार्यवाही (Intensive Participatory Planning Exercise) आयोजित कर तथा वाटरशेड प्लानिंग के रिज टू वेली के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अनुलग्नक – "2" में दर्शाये गये ऐसे समस्त कार्यों का चयन तथा स्थल चयन किया जायेगा, जो स्थानीय क्षेत्र की विशिष्टताओं (Slope, Topography, Hydrology, Geology etc.) के अनुरूप तकनीकी रूप से उपयुक्त हों तथा बिन्दु – 3 में दर्शाये गये विकल्पों के अनुसार सिंचाई सुविधा में वृद्धि कर सकें। सघन सहभागी आयोजना कार्यवाही के दौरान एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करते समय उपयोग में लाये गये नेटप्लान तथा रिमोट सेंसिंग नक्शो की भी सहायता ली जाये। सतही जल संरक्षण कार्यों का चयन व इनके प्रस्तावित निर्माण स्थल का चयन करते समय स्थानीय क्षेत्र के Hydrological Aspects को अनिवार्यतः ध्यान में रखा जाये, ताकि ऐसी संरचना का निर्माण हो सके, जो पर्याप्त जल संग्राहित कर सिंचाई सुविधा में वृद्धि के संदर्भ में मापन योग्य परिणाम (Measurable Outcome) दे सके। भू–जल संवर्धन कार्यों का चयन व इनके प्रस्तावित निर्माण स्थल का चयन करते समय स्थानीय चट्टानों (Underground Strata) के Geohydrological Aspects को अनिवार्यतः ध्यान में रखा जाये, ताकि निर्मित होने वाली संरचना से पानी का रिसाव होकर भू–जल स्तर में वृद्धि हो सके।

5.1.2 उपरोक्तानुसार चयनित जल संरक्षण/संवर्धन और जल वितरण/भू–जल दोहन के कार्यो को मनरेगा के PO log-in पर उपलब्ध कराकर कार्यों की अद्यतन सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार सूचीबद्ध किये गये कार्यों का एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजनाओं की डी.पी.आर. से मिलान/सत्यापन कर ऐसे कार्यों को पृथक–पृथक कर वर्गीकृत कर लिया जायेगा, जो एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना के डी.पी.आर. में शामिल हैं एवं शामिल नहीं हैं।

5.1.3 उपरोक्तानुसार वर्गीकृत कार्यों में से ऐसे कार्य जो एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना के डी.पी.आर. में शामिल हैं उन्हें मनरेगा के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट से हटाया जायेगा। ऐसे कार्य जो एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना के डी.पी.आर. में शामिल नही हैं परन्तु मनरेगा के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल हैं उन्हें शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में यथावत रखा जायेगा।

5.1.4 ऐसे वर्गीकृत कार्य जो एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना के डी.पी.आर. में भी शामिल नही हैं तथा मनरेगा के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में भी शामिल नहीं है उन कार्यों का विश्लेषण किया जायेगा तथा इन दोनों स्त्रोत योजनाओं के प्रावधानों की अनुकूलता के आधार पर या तो उन्हें एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना की डी.पी.आर. में शामिल किया जायेगा अथवा मनरेगा के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा। ऐसा करते समय अवधारणा यह होगी कि श्रम मूलक कार्य, जल वितरण के कार्य तथा भू–जल दोहन के कार्य मनरेगा के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किये जायें तथा सामग्री प्रधान कार्य एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना के डी.पी.आर. में शामिल किये जायें।

6 कार्ययोजना

6.1 उपरोक्तानुसार जल संरक्षण/संवर्धन तथा जल वितरण/भू–जल दोहन के कार्यों के चयन व वर्गीकरण के पश्चात् जो कार्य मनरेगा के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किये गये हैं, उनके प्राक्कलन तथा ड्राईंग व डिजाईन तैयार कर ग्रामवार कार्ययोजना तैयार की जायेगी। इसी तरह से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना हेतु नवीन चयनित कार्यों के प्राक्कलन, ड्राईंग व डिजाईन तथा उपयोगकर्ता समूह गठित कर यह संपूर्ण विवरण शामिल करते हुए संबंधित माईक्रोवाटरशेड की डी.पी.आर. को संशोधित किया जायेगा।

6.2 उक्त कार्ययोजनाओं में शामिल कार्यों की ग्रामवार संक्षेपिका **अनुलग्नक – "3"** में दर्शाये गये प्रपत्र में योजनावार पृथक–पृथक तैयार की जायेगी। मनरेगा के कार्यों को नरेगा सॉफ्ट में भी अंकित किया जायेगा।

7. कार्यान्वयन

7.1 मनरेगा के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल कार्य तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना की डी.पी.आर. में शामिल कार्य संबंधित योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात कार्यान्वित किये जायेंगे।

7.2 उपयोजना क्रियान्वयन के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नोडल अधिकारी होंगे जो मनरेगा तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के प्रस्तावित अभिसरण को मूर्त रूप देने के लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

8. **कार्यान्वयन एजेंसी**

8.1 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अभिसरण के तहत मनरेगा के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना का पी.आई.ए./वाटरशेड डेव्हलपमेंट टीम कार्यान्वयन एजेंसी होगी। एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना की डी.पी.आर. में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी योजना के प्रावधानों के अनुरूप पूर्वत रहेगी।

9. **अनुश्रवण, प्रगति अंकेक्षण व रिपोर्टिंग**

9.1 मनरेगा तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की परियोजना से कार्यान्वित कार्यों का अनुश्रवण, प्रगति अंकेक्षण तथा रिपोर्टिंग संबंधित योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप यथावत किया जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

3/6/15

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र.9292/22/वि.–9/2015 भोपाल दिनांक 04/06/2015

प्रतिलिपि :

1. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. **आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**
3. संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संभाग आयुक्त, संभाग – समस्त की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला – समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3/6/15

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्नक – "1"

"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनरेगा तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अभिसरण हेतु चयनित विकासखण्ड

क्र.	जिला	विकासखण्ड
1	अगर मालवा	नलखेड़ा
2	अलीराजपुर	सोण्डवा
3	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़
4	अशोकनगर	मुगावली
5	बालाघाट	बैहर
6	बालाघाट	बिरसा
7	बड़वानी	निवली
8	बड़वानी	राजपुर
9	बड़वानी	सेंधवा
10	बड़वानी	ठीकरी
11	बैतूल	आठनेर
12	बैतूल	बैतूल
13	बैतूल	भैंसदेही
14	बैतूल	भीमपुर
15	बैतूल	चिचोली
16	बैतूल	शाहपुर
17	भोपाल	बैरसिया
18	बुरहानपुर	खकनार
19	छतरपुर	बडामलहरा
20	छतरपुर	बिजावर
21	छतरपुर	बक्सवाहा
22	छतरपुर	राजनगर
23	छिन्दवाडा	बिछुआ
24	छिन्दवाडा	हर्रई
25	छिन्दवाडा	तामिया
26	दमोह	जबेरा
27	दमोह	पटेरा
28	दतिया	सेवड़ा
29	देवास	बागली
30	देवास	कन्नौद
31	धार	धरमपुरी
32	धार	गंधवानी
33	धार	सरदारपुर
34	धार	उमरवन
35	डिण्डौरी	डिण्डौरी
36	गुना	बमोरी
37	गुना	चाचोड़ा
38	ग्वालियर	भितरवार
39	होशंगाबाद	केसला
40	जबलपुर	कुन्डम
41	झाबुआ	मेघनगर
42	झाबुआ	पेटलावद
43	झाबुआ	रामा
44	झाबुआ	थांदला
45	कटनी	बडवारा
46	खण्डवा	छेगांवमाखन
47	खण्डवा	खालवा
48	खण्डवा	पंधाना
49	खरगौन	भगवानपुरा
50	खरगौन	भीकनगांव
51	खरगौन	कसरावद
52	खरगौन	सेगांव
53	खरगौन	झिरन्या
54	मण्डला	बिजाडान्डी
55	मण्डला	नारायणगंज
56	मंदसौर	सीतामऊ
57	नीमच	मनासा
58	पन्ना	अजयगढ
59	पन्ना	गुन्नौर
60	पन्ना	पन्ना
61	पन्ना	पवई
62	पन्ना	शाहनगर
63	रायसेन	सिलवानी
64	राजगढ़	खिलचीपुर
65	राजगढ़	राजगढ़
66	रतलाम	बाजना
67	रीवा	हनुमना
68	सागर	बंडा
69	सागर	जैसीनगर
70	सागर	केसली
71	सागर	रहली
72	सागर	शाहगढ़
73	सीहोर	इछावर
74	सिवनी	छपारा
75	सिवनी	लखनादौन
76	शहडोल	ब्यौहारी
77	शहडोल	बुढ़ार
78	शहडोल	गोहपारु
79	श्योपुर	कराहल
80	शिवपुरी	खनियाधाना
81	शिवपुरी	कोलरस
82	शिवपुरी	नरवर
83	सीधी	मझौली
84	सीधी	रामपुरनैकिन
85	सीधी	सीधी
86	सिंगरौली	चित्ररंगी
87	सिंगरौली	देवसर
88	टीकमगढ़	बलदेवगढ़
89	टीकमगढ़	जतारा
90	टीकमगढ़	निवाड़ी
91	टीकमगढ़	पलेरा
92	टीकमगढ़	पृथ्वीपुर
93	टीकमगढ़	टीकमगढ़
94	उज्जैन	महिदपुर
95	उमरिया	करकेली
96	विदिशा	लटेरी
97	विदिशा	नटेरन

अनुलग्नक – "2"

"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनरेगा तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अभिसरण से कार्यान्वित किये जा सकने वाले जल संरक्षण/संवर्धन और जल वितरण/भू–जल दोहन के संभावित कार्य

जल संरक्षण तथा भू–जल संवर्धन के कार्य

1. कंटूर ट्रेंच
2. गली प्लग
3. लूज बोल्डर स्ट्रक्चर
4. स्टोन बंड
5. गेबियन संरचना
6. फीडर चैनल
7. परकोलेशन तालाब
8. नदी /नाले पर मिट्टी के बंधान/मिट्ट व बोल्डर के बंधान
9. स्टाप डेम/चेक डेम
10. एनीकट
11. तालाब
12. मेढ़ बंधान
13. खेत तालाब/संकन पोण्ड
14. खेतों में रिचार्ज पिट/सोक पिट/रिचार्ज बाक्स ट्रेंच
15. कुंआ रिचार्ज
16. भूमिगत डाइक
17. पुरानी जल संग्रहण संरचनाओं का सुधार/जीर्णोद्धार/गाद निकालना

जल वितरण/भू–जल दोहन के कार्य

1. कुंआ निर्माण
2. नहर निर्माण/नहरों की लाईनिंग
3. पानी बितरण प्रणाली
4. उद्वहन सिंचाई

अनुलग्नक – "3"

"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनरेगा तथा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अभिसरण से कार्यान्वित किये जाने वाले जल संरक्षण/संवर्धन और जल वितरण/भू–जल दोहन कार्यों की कार्ययोजना की संक्षेपिका

स्त्रोत योजना :– मनरेगा/एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत	ग्राम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य का उद्देश्य (जल संरक्षण/भू–जल संवर्धन/जल वितरण/भू–जल दोहन)	कार्य के निर्माण स्थल का लेटीटयूड एवं लॉगीटयूड	कार्य की लागत (रुपये लाख में)	निर्मित होने वाली संरचना की जल संग्रहण क्षमता	संरचना के निर्माण से जनित होने वाली सिंचाई सुविधा (हे.)